BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 18 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष, 01 माह 18 दिन का कारावास की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुलेमान पुत्र अली हसन निवासी ग्राम हसनपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड के कब्जे से वर्ष 2022 में 01 तमंचा 315 व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 30.08.2024 को थाना नरेसना पर मुअसं-225/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 04.09.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 18.10.2024 को न्यायाधीश श्री विकास चौधरी (मा0 न्यायालय एसीजेएम-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुलेमान को 02 वर्ष, 01 माह, 18 दिन का कारावास से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर